राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प.17(4)परि/2019 पार्ट–1 जयपुर, दिनांकः– 28/4/20

आदेश

कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में देश में लागू लॉकडाउन के फलस्वरूप वर्तमान में निगम की बसों का संचालन बंद होने तथा इसके बाद वायरस के संक्रमण के भय से यात्रीभार कम रहने की संभावना से निगम का राजस्व प्रभावित होने एवं निगम की आर्थिक स्थिति के मध्यनजर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2020–21 में चार माह के सहायतार्थ अनुदान राशि रूपये 100.00 करोड़ स्वीकृत करने एवं इसे लेखाशीर्ष 3055–00–190–(08)–[00]–12 सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि) में प्रावधित राशि में से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के निजी निक्षेप खाते में अंतरित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी.संख्या 102001860 दिनांक 24.04.2020 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(पी.डी.पारीक)
उप शासन सचिव, परिवहन

क्रमांकः– प.17(4)परि/2019 पार्ट–1 जयपुर, दिनांकः–

प्रतिलिपि–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग मुख्यालय।
8. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
9. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार राशि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के पी.डी. खाते में हस्तान्तरित कराने का श्रम कराऐं।
10. सहायक निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. कोषाधिकारी, सचिवालय कोष, जयपुर।
12. सिस्टम एनालिस्ट।
13. रक्षित पत्रावली।

28/4/2020

उप शासन सचिव, परिवहन

Scanned with CamScanner